–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 55/2017

उनवान

1. गबरू पुत्र बरदा उर्फ बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद
—— अपीलार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भटियानी नसीराबाद।
2. सांवरा पुत्र बरदा उर्फ बिरदा
3. रामदेव पुत्र बरदा उर्फ बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

—— रेस्पोण्डेटस :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 जरियें राज0 पैरोकार

भू राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 27.7.2016 सरपंच ग्राम पंचायत भटियानी द्वारा स्वीकृत किया गया।

–: आदेश :– दिनांक :– २५.१.१७

अपील के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भटियानी के खाता संख्या 800/780 ,खसरा नम्बर 778/0.13, 778/3417 रकबा 0.14, 833/0.41, 865/0.40, 866/3497 रकबा 0.18, 881/0.30, 884/0.45, 1154/3875 रकबा 0.05, 1155/0.06, 1160/3872 रकबा 0.03, 3286/0.49, 3287/0.49, खाता संख्या 799/778 खसरा नम्बर 867/3654 रकबा 0.06, खाता संख्या 798/777 खसरा नम्बर 761/0.26, 768/0.64, 823/3846 रकबा 0.07, 826/0.06, 827/3855 रकबा 0.06, 867/3867 रकबा 0.05, 1152/0.18, 1155/3874 रकबा 0.02, 1160/0.24, खाता संख्या 801/779 खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.01, 1152/4711 रकबा 0.10, खाता संख्या 534/537 खसरा नम्बर 755/3838 रकबा 0.02, 758/3825 रकबा 0.29, 759/0.51, 762/0.17, 763/0.07, 764/1.34, 765/3826 रकबा 0.28, 776/3834 रकबा 0.07, 783 रकबा 0.10, 785/3418 रकबा 0.26, 790 रकबा 0.25, 792/3836 रकबा 0.03, 810/3844 रकबा 0.02, 1818/3845 रकबा 0.26, 819/0.76, 820/0.54, 821 रकबा 0.12, 822 रकबा 0.55, 823 रकबा 0.82 की आराजी अपीलांट व रेस्पोण्डेटस संख्या 2 से 3 की संयुक्त खातेदारी की है। रेस्पोण्डेटस संख्या 2 से 3 ने अपीलार्थी के साथ छल– कपट कर दिनांक 22.8.14 को उक्त भूमि का हक परित्याग अपने नाम निष्पादित करवा लिया। उक्त हक परित्याग के बारे में जानकारी होने पर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी ने एक वाद श्रीमान् अपर मुख्य न्यायाधीश नसीराबाद के समक्ष गबरू बनाम सांवरा दीवानी वाद संख्या 11/14 प्रस्तुत किया, तथा उक्त वाद पेश करने के बाद रेस्पोण्डेटस संख्या 2 व 3 ने अपनी गलती स्वीकार की एवं दिनांक 29.4.14 को आदेश पारित किया गया कि उक्त परित्याग पत्र विधि विरूद्व होने से निरस्त किया गया। अपीलार्थी गबरू को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि दिनांक 22..8.14 के परित्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण अपने पक्ष में नही करवाये, तथा अपीलार्थी को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे। उक्त आदेश की आज तक अपील पेश नही की है। अपीलार्थी ने उक्त हक परित्याग पत्र निरस्त होने की जानकारी तहसीलदार नसीराबाद को भी दे दी थी। किन्तु रेस्पोण्डेटस ने उक्त परित्याग पत्र निरस्त होने के आदेश को छिपाते हुये उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद में रामदेव बनाम गबरू प्रकरण संख्या 132/2014 पेश किया। उक्त परित्याग पत्र निरस्त होने की सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी समस्त तथ्यों को छिपाते हुये नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 29.9.14 द्वारा ग्राम पंचायत भटियानी से आराजी मुतनाजा रेस्पोण्डेटस ने अपने नाम करवा ली। अतः नामान्तकरण संख्या 991/27.7.16 को निरस्त करने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेटस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेटस संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 27.7.16 के विरूद्व अपील दिनांक 21.7.17 लगभग 1 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। अतः अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। प्रकरण में रेस्पोण्डेटस संख्या 1 ग्राम पंचायत भटियानी को पक्षकार बनाने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के अनुसार दो माह का सूचना पत्र भी नही दिया गया है। अतः रेस्पोण्डेटस संख्या 1 को बिना विधिक कार्यवाही अपनाये पक्षकार बनाये जाने के कारण प्रकरण निरस्त योग्य है।

आराजी मुतनाजा पर अपने हक का परित्याग अपीलांट द्वारा रेस्पोण्डेटस संख्या 2 व 3 के पक्ष में जरियें पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 22.8.14 को कर दिया था। एवं प्रकरण संख्या 132/14 रामदेव बनाम गबरू में दिनांक 5.6.15 को न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुये अपीलांट द्वारा किये गये हकत्याग को ध्यान में रखते हुये वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के-बाद दिनांक 22.9.15 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। व उक्त निर्णय के आधार पर परित्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण किया गया। उक्त निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा माानीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहा पेश कर दी है। जो वर्तमान में विचाराधीन है।

सिविल न्यायालय द्वारा परित्याग पत्र को निरस्त करने के आदेश के विरूद्व माननीय अपर जिल एवं सत्र न्यायालय अजमेर में रेस्पोण्डेटस रामदेव द्वारा अपील पेश कर दी गयी है जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण की अपील अपीलांट व रेस्पोण्डेटस के मुकदमें व अपील विचाराधीन रहते हुये पेश की है जो खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सहखातेदारी व पुश्तैनी की है। दिनांक 22.8.14 को रेस्पोण्डेटस संख्या 2 व 3 ने बिना बताये हकत्याग करवा लिया इसकी जानकारी अपीलांट को होने पर सिविल न्यायालय में हक परित्याग निरस्त करने का दावा किया गया। दिनांक 29.9.14 को सिविल न्यायालय ने उक्त परित्याग पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये गये। उसके बावजूद रेस्पोण्डेटस ने उपखण्ड न्यायालय में बंटवारे का वाद पेश कर दिया व परित्याग पत्र के आधार पर बंटवारा करवा लिया। उक्त परित्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 991 तस्दीक करवाया गया जिसे निरस्त किया जावे।

उपखण्ड-अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोण्डेटस ने निवेदन किया कि उनके द्वारा विभाजन का वाद उपखण्ड न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें नियमानुसार प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गयी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के यहा अपील पेश की जो विचाराधीन है। सिविल न्यायालय द्वारा परित्याग पत्र के निरस्त करने के निर्णय को अपीलीय न्यायालय में चुनोती दे दी गयी है। उक्त अपील भी विचाराधीन है एवं इसी कारण तहसीलदार द्वारा परित्याग पत्र में निरस्त का अंकन नही किया है। नामान्तकरण संख्या 991 में खसरा नम्बर 798, 799, 800, 801, 534 भी अंकित है जो भूमि अलग है। अतः उक्त अपील विचाराधीन रहते प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलांट व उसकी बहिन ने वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत हक परित्याग पत्र दिनांक 22.8.14 को रेस्पोण्डेटस संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया था। साथ ही हाजा न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद 132/14 में दिनांक 22.9.15 को डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र के विरूद्व एक अपील (दिवानी वाद) सिविल न्यायालय व न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद के समक्ष पेश की उक्त वाद में सिविल न्यायालय व न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद ने दिनांक 9.5.16 को डिक्री पारित कर अपीलांट की हक तक परित्याग पत्र निरस्त कर दिया है। उक्त निर्णय व डिक्री व हाजा न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.9.15 को पारित डिक्री की अपील अपीलांट व रेस्पोण्डेटस द्वारा अपीलीय न्यायालय में की जा चुकी है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 27.7.16 की अपील दिनांक 21.7.17 को हाजा न्यायालय में पेश की है। किन्तु अपनी अपील में वाद कारण अंकित नही किया है ना ही यह स्पष्ट किया है कि उन्हे उक्त नामान्तकरण की जानकारी किस दिनांक को हुयी। उक्त नामान्तकरण की अपील लगभग 1 वर्ष बाद की गयी है उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने के बाद भी अपीलांट ने विलम्ब के कारण नही बताते हुये उक्त अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की है। साथ ही अपीलांट ने रेस्पोण्डेटस संख्या 1 ग्राम पंचायत भटियानी को पक्षकार बनाने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के अनुसार दो माह का सूचना पत्र भी नही दिया है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित विभाजन डिक्री की पालना में खाता संख्या 800 व 798 का विभाजन राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 887 दिनांक 27.1.16 द्वारा किया गया है। जो रेस्पोण्डेटस द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण व जमाबंदी की प्रति सें सिद्व होता है। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण की अपील नही की है। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट का परित्याग पत्र ही निरस्त किया है। जबकि उक्त परित्याग पत्र अपीलांट के अतिरिक्त उसकी बहिन मानी द्वारा भी किया गया है। व उक्त नामान्तकरण द्वारा अपीलांट के साथ मानी का हिस्सा भी रेस्पोण्डेटस के नाम दर्ज किया गया है। सिविल न्यायालय व न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद ने दिनांक 9.5.16 को डिक्री पारित कर अपीलांट की हक तक परित्याग पत्र निरस्त कर दिया है। उक्त निर्णय व डिक्री व हाजा न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.9.15 को पारित डिक्री की अपील अपीलांट व रेस्पोण्डेटस द्वारा अपीलीय न्यायालय में की जा चुकी है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में परित्याग पत्र की सत्यता का निर्धारण अपीलीय न्यायालय द्वारा किये जाने के पश्चात ही विवादित नामान्तकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित होगा। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के यहा भी वादग्रस्त आराजी व परित्याग पत्र के सम्बन्ध में अपील विचाराधीन है अतः उक्त अपील के निस्तारण के बाद ही विवादित नामान्तकरण के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील **"खारिज"** की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner